न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत नूंवा

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2016/120 दायरा दिनांक 22.07.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वर पुत्र किशनाराम उम्र 75 वर्ष जाति अहिर निवासी अहिरो का बास तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. विनोदकुमार पुत्र रामपाल 2. बोदूराम पुत्र मांगीलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर 3. नथमल पुत्र मांगीलाल 4. मालूराम पुत्र मांगूराम समस्त जाति अहिर निवासी अहिरो का बास तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। 5. नायब तहसीलदार उप तहसील मौलासर 6. पटवारी हल्का सुद्रासन 7. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी ,बन्टवारा व रेकार्ड दुरूस्ती आदि

उपस्थित—

1. वादी उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण सं0 01, उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 28.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं कृर्षि भूमि ख0 न0 575 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, ख. न. 577 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा, ख. न. 578 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा व ख. न. 585 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा सम्पुर्ण किस्म बारानी अलीफ जिसके रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 चले आ रहे है।

कालान्तर में यह कृर्षि भूमि मांगीलाल व रामकुंवार ब्राहम्ण के नाम थीं, जिसमें से रामकुंवार का हिस्सा वादी ने कय कर लिया, जिसमें

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का हिस्सा 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का 1/2 भाग है।

वादी ने रामकुंवार ब्राहम्ण से वाद के पैरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि खरीद की थीं। तब से अर्थात लगभग 40 वर्ष पहले वादी के हिस्से में ख0 न0 575 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, ख. न. 577 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा, बन्टवारे के अनुसार उक्त खसरा की भूमि वादी के हिस्से में आई तब से उक्त भूमि पर वादी निरन्तर एवमं निर्बाध रूप से अपनी कृषि भूमि पर तन्हा काबिज काश्तकार चला आ रहा है। कृषि भूमि ख. न. 578 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा व ख. न. 585 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बन्ट में आई हुई है तथा अर्सा करीब 40 वर्षो से वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 अपनी हिस्से की भूमि पर बहामी बन्टवारा कर निंव–सिंव कायम कर अपने–अपने भू–भाग पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है।जिसका कालान्तर में बहामी बन्टवारा हो चुका है। वादी अपने हिस्सा की भूमि को बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बन्टवारा कराने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 04 मालूराम पुत्र मांगूराम वादी का काका का बेटा भाई है, जो कतई गलत एवम् बिना कानूनी अधिकार के वादी की भूमि खसरा नम्बर 575 व 577 में से अपनी भूमि खसरा नम्बर 573 में आने के लिए रास्ता प्रतिवादी संख्या 05 व 06 से मिलकर कायम करवाने पर आमादा है।वादी की भूमि से होकर प्रतिवादी संख्या 04 का किसी भी प्रकार से आवागमन नही रहा है। उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 04 मालूराम वादी की भूमि में से रास्ता कायम कराने की कुचेष्टा में है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 04 एक ही खानदान के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 573 में आने के लिए रास्ता अहिरो का बास से गणेशपुरा लोसल जाने वाले रास्ता से कृषि भूमि खसरा नं. 560 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा में से होकर रहा है। तथा इसी रास्ता का प्रतिवादी संख्या 04 कालूराम ने निरन्तर एवम् लगातार उपभोग किया है।प्रतिवादी संख्या 04 के भूमि में आने हेतु रास्ता होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 04 कतई गलत बिना कानूनी अधिकार के वादी की खरीद सुदा भूमि में रास्ता कायम कराने की कुचेष्टा में लगा हुआ है। अहिरो के बास से गणेशपुरा लोसल होता हुआ रास्ता चला आ रहा है।जिसका ट्रेस नक्शा में मार्क क, ख, से प्रदर्शित किया गया है। तथा कृषि भूमि खसरा नं. 560 दक्षिणी सींव के पास–पास रास्ता जो प्रतिवादी संख्या 04 मालूराम की हिस्से में आई भूमि खसरा नम्बर 573 में आता है।जिसको ट्रेस नक्शा में ए, बी, से प्रदर्शित किया है।

वादी अत्यन्त ही गरीब एवम् कमजोर व्यक्ति है।जिसका कमजोरी का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 मालूराम अपनी राजनैतिक पहुँच का फायदा उठाकर वादी की खरीद सुदा भूमि खसरा नम्बर 575 व 577 तके से नया रास्ता प्रतिवादी संख्या 05 व 06 से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मिलकर कायम करने पर आमादा है जो ताकत के बल पर रास्ता करने के फिराक में है, यदि प्रतिवादी संख्या 04 अपने उक्त कुउद्धेश्य में सफल हो तो वादी को इस कदर असीम क्षति पहुचेगी, जिसकी वाद में तलाफी किसी भी प्रकार सम्भव नही होगी। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबधिंत फरमाया जाने के लिए यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का भी पेश करना लाजिम हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि

डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी फरमाया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की भूमि वर्णित पैरा संख्या 03 वाद–पत्र का थाई मिटस एण्ड बाउन्डस बन्टवारा किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर अलग जमाबंदी व पासबुक जारी की जावे।

डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी फरमाई जाकर प्रतिवादी संख्या 04 ता 06 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वादी की खरीद सुदा व बन्ट सुदा भूमि खसरा नम्बर 575 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, ख. न. 577 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा, में नया रास्ता कायम करने के लिए सदैव से बाज रहे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 03.03.2017 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 व 05 ता 07 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 व 05 ता 07 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई।तथा प्रतिवादी संख्या 04 की और से वकील श्री दुर्जाराम व ओमप्रकाश नें पेश किया। प्रत्राावली वास्ते जबाब दावा हेतु नियत की गई।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 कोंट केम्प ग्राम पंचायत नुंवा में उपस्थित हुये प्रतिवादी 02 ता 07 कोर्ट केम्प नुंवा में भी बाद सम्मन तामिल के अनुपस्थित है। वर्तमान स्थिति की जॉच मजमे आम में की गई। मौके पर वादी द्वारा बताया रास्ता नही होने की पुष्टि मजमे आम मौजिज व्यक्तियों से की गई।

वादी व मजमे आम मौतबीरान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की भूमि वर्णित पैरा संख्या 03 वाद–पत्र का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बन्टवारा किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 ता 06 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी की खरीद सुदा व बन्ट सुदा भूमि खसरा नम्बर 575 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, ख. न. 577 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा, में नया रास्ता कायम नही करे, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।इसी अनुरूप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **28.06.2017** को कोर्ट कैम्प नुंवा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2016/120 दायर दिनांक 22.07.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वर पुत्र किशनाराम उम्र 75 वर्ष जाति अहिर निवासी अहिरो का बास तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. विनोदकुमार पुत्र रामपाल 2. बोदूराम पुत्र मांगीलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर 3. नथमल पुत्र मांगीलाल 4. मालूराम पुत्र मांगूराम समस्त जाति अहिर निवासी अहिरो का बास तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 5. नायब तहसीलदार उप तहसील मौलासर 6. पटवारी हल्का सुद्रासन 7. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी ,बन्टवारा व रेकार्ड दुरूस्ती आदि

दिनांक 28.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी व श्री, प्रतिवादी सं0 01, की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की भूमि वर्णित पैरा संख्या 03 वाद–पत्र का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बन्टवारा किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 ता 06 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी की खरीद सुदा व बन्ट सुदा भूमि खसरा नम्बर 575 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा, ख. न. 577 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा, में नया रास्ता कायम नही करे, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................. ..–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	‍रुपया	से	मुदायलह	‍रुपया	पैसे
ाम्प अर्जीदावा ाम्प वकालतनामा ाम्प वजह सबूत नताना वकील र्ग़ा गवाहान स कमिश्नर ात इजराय मनामा फर्रिक			ाम्प वकालतनामा ाम्प अर्जी नताना वकील र्ग़ा गवाहान स कमिश्नर ात इजराय हुक्मनामा फर्रिक		
जान			जान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागोर)

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner